पटना में दिनांक–30 अगस्त, 2016 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

सामान्य प्रशासन विभाग

1. बिहार हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) की सूची से इन्ट्री नं०–48 को विलोपित करने संबंधी राज्य सरकार की अनुशंसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली प्रेषित करने के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को वित्तीय वर्ष 2016–17 में सहायक अनुदान की राशि रू०–35,52,51,000/–(पैंतीस करोड़ बावन लाख एकावन हजार) के व्यय की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

4. राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 4. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

5. बाढ़ के मद्देनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245 –प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 –बाढ़–चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 754.00 करोड़ (सात अरब चौवन करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

6. राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बरौनी एवं मुजफ्फरपुर वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1053.00 करोड़ रूपये की योजना को पूर्ण करने हेतु एन०टी०पी०सी० को कन्सलटेंसी शुल्क के मद में 3.00 करोड़ रूपये अतिरिक्त भुगतान करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा भेल एवं एन०टी०पी०सी० को वित्तीय वर्ष 2015–16 तक सीधे विमुक्त की गयी राशि 925.20 करोड़ रूपये के उपरांत शेष उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 127.80 करोड़ रूपये के विरूद्ध तत्काल राज्य योजना से भेल एवं एन०टी०पी०सी०लि० को Returnable आधार पर भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 88.67 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

7. बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल में 132/133 के०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में में 668.72 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना में शामिल खगड़िया जिला अन्तर्गत गोगरी में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के बदले पटना जिला के पालीगंज में (2x50) एम०भी०ए०, 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

कृषि विभाग

8. किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6399.97569 (तीरसठ करोड़ निन्यानवे लाख संतानवे हजार पाँच सौ उनहत्तर) लाख रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है। — 8. स्वीकृत।

कृषि विभाग

9. वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम के लिये केन्द्रांश मद में 6106.239 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 4070.822 लाख रूपये, कुल 10177.061 लाख रूपये (एक सौ एक करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार एक सौ रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा राज्य योजना अंतर्गत बीज अनुदान मद में 1358.621 लाख (तेरह करोड़ अन्ठावन लाख बासठ हजार एक सौ) रूपये की लागत से अतिरिक्त सहायता के रूप में योजना कार्यान्चयन की स्वीकृति तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल संभावित राशि रू० 2242 लाख (दो हजार दो सो बयालीस लाख) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

11. "ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 100 या अधिक आबादी वाले सर्वेक्षित अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सभी जिलों में पथों का निर्माण के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

12. श्री बिन्दु कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज –सह– सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, बेतिया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम 14 (xi) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी "भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" के MoA एवं AoA सहित गठन एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1309.30 करोड़ (तेरह सौ नौ करोड़ तीस लाख) में से 463.21 करोड़ (चार सौ तिरसठ करोड़ इक्कीस लाख) एवं 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपया राज्यांश के रूप में व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

विधि विभाग

14. अदालतगंज, पटना परिसर में उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासन हेतु बहुमंजलीय आवासीय भवन फेज–1 के निर्माण के निमित कुल 82,94,14,000/–(बेरासी करोड़ चौरानवे लाख चौदह हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. डा० संजीव कुमार सिन्हा, पूर्व आवासीय शल्य चिकित्सक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. देशी चिकित्सा निदेशालय/आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लिपिकीय कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु "बिहार देशी चिकित्सा (आयुष) क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2016" के गठन के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

17.	श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाकामयाब मशीनों/स्क्रैप को कंडम घोषित करने हेतु एक नई समिति गठित करने एवं निलामी प्रक्रिया एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से ई–ऑक्सन द्वारा करने की स्वीकृति के संबंध में।	17. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

18.	श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन 08 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में "पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना" योजनान्तर्गत 11 विभिन्न व्यवसायों के कुल 24 यूनिटों की स्थापना एवं 24 व्यवसाय अनुदेशकों के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	18. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19.	स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली के लिए वाहन चालक के एक पद का सृजन।	19. स्वीकृत।